<u>जन सुनवाई कार्यवाही विवरण</u>

मैसर्स श्री राजेश कुमार धाकड़ S/o श्री मोहन लाल धाकड़ प्रस्तावित खनन परियोजना(सेण्ड स्टोन एवं मेसनरी स्टोन), के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना एम.एल.संख्या 01/2022, क्षेत्रफल 2.9860 हैक्टेयर, (क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 51.9127 हेक्टेयर), उत्पादन क्षमता 401798 टी.पी.ए.(रोम), खसरा संख्या 240, 543/239 एवं 548/241, निकट ग्राम–पराना, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राजस्थान), में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र बुधपुरा, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राजस्थान) में आयोजित जनसुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के पत्र क्रमांक 194 दिनांक 12.11.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र कमांक RPCB/ROBundi/PUB-125/1509-1515 दिनांक 14.11.2024 के अनुपालना में मैसर्स श्री राजेश कुमार धाकड़ S/o श्री मोहन लाल धाकड़ प्रस्तावित खनन परियोजना(सेण्ड़ स्टोन एवं मेसनरी स्टोन), के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना एम.एल.संख्या 01/2022, क्षेत्रफल 2.9860 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 401798 टी.पी.ए.(रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 51.9127 हेक्टेयर, खसरा संख्या 240, 543/239 एवं 548/241, निकट ग्राम–पराना, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 27.12.2024 को आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर सलंग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र **दैनिक भास्कर** समाचार पत्र में दिनांक 17 **नवम्बर, 2024** एवं **दैनिक राजमार्ग** समाचार पत्र में दिनांक 18 नवम्बर, **2024** को प्रकाशित करवाई गई जो की परिशिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न हैं।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आगंतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने जनसुनवाई के प्रावधान, उद्वेश्य एवं महत्व तथ प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों /व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार सलाहकार कॉग्निजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की तकनीकी सलाहकार श्रीमती कायनात आज़म के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्ड़ार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और नवीनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्मोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ती सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ती के बारे में पूछा तथा बताया कि अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

अतं में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ती नहीं होना बताया।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से सम्बन्धित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/ प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतं में श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जनसुनवाई की विडियों रिकॉर्डिंग (सी.डी.) संलग्न है।

लक्ष्मीकान्त
उपखण्ड़ अधिकारी
तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.)
उप खण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

सविता 31/12/24
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., बून्दी (राज.)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री राजेश कुमार धाकड़ S/o श्री मोहन लाल धाकड़, एम.एल. संख्या 01/2022, क्षेत्रफल – 2.9860 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 401798 टी.पी.ए. (रोम), खसरा संख्या 240, 543/239 एवं 548/241, निकट ग्राम – पराना, तहसील – तालेड़ा, जिला – बून्दी की प्रस्तावित सेण्ड़ स्टोन एवं मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल – 51.9127 हैक्टेयर, क्लस्टर उत्पादन क्षमता – 4960552 टी.पी.ए. (रोम) के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– राजीव गाँधी सेवा केन्द्र बुधपुरा, तहसील – तालेड़ा, जिला – बून्दी

दिनांक :– 27.12.2024

समय :– प्रातः – 11:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	Laxmi Kant, SDM, TALERA	[signature]
2.		
3.	Rohitash Balai, AEE, RPCB, Bundi	[signature]
4.	[illegible] RSPCB	[signature]
5.	Kaynat Aazam, CRIPL, Udaipur	[signature]
6.	राजेश कुमार [illegible]	[signature]
7.	[illegible] धाकड़ [illegible]	[signature]
8.	[illegible]	[signature]
9.	मांगीलाल धाकड़ बोधपुरा	[signature]
10.	[illegible] धाकड़ छोटा [illegible]	[signature]
11.	[illegible] बुधपुरा	[signature]
12.	[illegible] बुधपुरा	[signature]
13.	राधेश्याम गुर्जर राणु सदाराम जी डाबेड़ा	[signature]

	नाम व पता	हस्ताक्षर
14.	कालूलाल [illegible] जी डाबी	[illegible]
15.	शंकर लाल रामजी बिजोलिया	Shiva
16.	धनराज बुद्धपुरा	Dhanraj
17.	भैरु सेन बुद्धपुरा	Sunil SEN
18.	ज्ञानचन्द धाकड़ किशन निवास	ज्ञानचन्द
19.	गोविन्द सिंह गहलोत उम्मेदपुरिया	गोविन्दसिंह
20.	सोनू बिजोलिया	सोनू
21.	प्रकाश धाकड़ गोरधनपुरा	प्रकाश
22.	लालूराम रूपा राम जी का खेड़ा	लालूराम
23.	पराणा बिल्लू गाव का पराणा	बिल्लू
24.	कमलेश गुर्जर बुद्धपुरा	कमलेश
25.	राजेश कुमार गुर्जर पराणा	राजेश
26.	लेखराज माली बुधपुरा	लेखराज
27.	दिलखुश माली पराणा	दिलखुश
28.	रघुवीर मेहता	[illegible]
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		

पाइप से पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही विद्युत कनेक्शन व शिविर लगाकर पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जाएंगे।

पीएम लाभार्थियों को आवास की चाबियां दी

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभार्थियों काली बाई, सीमा, अनिता बाई, काली बाई, फूला बाई, संतोष, कांता बाई को अतिथियों ने आवास गृहों की चाबियां दी। साथ ही कृष्णा, संजू बाई, पार्वती को आवास योजना में आवास स्वीकृति पत्र भी दिए गए।

स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी

सीएमएचओ डॉ. ओपी सामर, अधिशासी अभियंता नरेगा प्रियव्रत सिंह, डीपीईएम अनुप्रीत कौर शामिल रहे। इस अवसर पर चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, श्रम, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। संचालन भूपेंद्र शर्मा ने किया।

...क जातकों ...े के संकेत

सिंह : आपको अपनी मेहनत के परिणाम देखने को मिल सकते हैं और कुछ बड़े पुरस्कार मिल सकते हैं।

कन्या : कन्या राशि वालों के घर और पारिवारिक मामलों में स्थिरता आएगी। आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और पुराने कर्ज या विवादों से भी मुक्ति मिलेगी।

धनु : इस राशि के लिए शुभ हैं, शनि देव पराक्रम में वृद्धि कराएंगे।

मकर : मकर राशि के जातकों को कॅरियर में उन्नति, व्यापार में सफलता और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। किसी भी दीर्घकालिक योजना को पूरा करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है।

कुंभ : कुंभ राशि के लिए समय अच्छा रहेगा। शनि का मार्गी होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और सफलता के रास्ते खोलेगा।

भारत गौरव ट्रेन 16 दिसंबर को

बूंदी| दक्षिण दर्शन यात्रा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 16 दिसंबर को इंदौर से रवाना होगी। ट्रेन देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल से यात्री लेगी।

ट्रेन 9 रात व 10 दिन की इस यात्रा में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी एवं त्रिवेंद्रम का भ्रमण कराएगी। भारत गौरव ट्रेन के विशेष एलएचबी रैक में ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड भोजन, दर्शनीय स्थल तक बस से सड़क परिवहन, आवास व्यवस्था, एस्कॉर्ट्स, बीमा शामिल है। पर्यटक आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन व अधिकृत एजेंट से भी बुकिंग करा सकते हैं।

कर स्वागत किया।

जानकारी के अनुसार सदर बाजार लुहार गली में कपूरचंद सेटिया परिवार की ओर से घर से जिनवाणी का जुलूस रवाना हुआ, जिसमें सकल जैन समाज महिला मंडल जयघोष व बैंडबाजों की मधुर धुनों पर महिलाएं व युवतियां नृत्य करती चल रही थी। जुलूस में बाजार पारसनाथ जैन मंदिर पहुंचा, जहां मंडल विधान व दर्शन कार्यक्रम हुआ। इसके बाद जुलूस लंकागेट, जैन दादाबाड़ी होते हुए मधुबन कॉलोनी मुनि सुव्रतनाथ जैन मंदिर पहुंचा, जहां विधिवत पूजा-अर्चना के साथ जिनवाणी को विराजमान किया। इसके बाद जिनवाणी की महाआरती कर प्रसाद बांटा गया।

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Board Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-128/1502 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः- मैसर्स श्री शिव स्टोन खसरा नम्बर 1460/440 एवं 441 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग, माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 51.9127 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री शिव स्टोन द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 08/2023), खनन क्षेत्र 1.5068 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 229464 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 1460/440 एवं 441 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री शिव स्टोन, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- .

i. जिला कलक्टर, बून्दी। ii. CEO जिला परिषद, बून्दी। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी। vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी। viii. ग्राम पंचायत, डाबी। ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी। X निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को दोपहर 2:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-125/1509 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स राजेश कुमार धाकड़ खसरा नम्बर 240, 543/239 एवं 548/241 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग, माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र 51.9127 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 4960552 TPA (ROM), आवेदक मैसर्स राजेश कुमार धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 01/2022), खनन क्षेत्र 2.9860 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 401798 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 240, 543/239 एवं 548/241 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजेश कुमार धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, बून्दी। ii. CEO जिला परिषद, बून्दी। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218. अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी। vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी। viii. ग्राम पंचायत, बुधपुरा। ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 194 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2024 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड 19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-127/1489 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़ खसरा नम्बर 242 एवं 243/335 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग, माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र 51.9127 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 03/2021), खनन क्षेत्र 2.3030 हेक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 286539 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 242 एवं 243/335 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है-

i. जिला कलक्टर, बून्दी। ii. CEO जिला परिषद, बून्दी। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी। vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी। viii. ग्राम पंचायत, बुधपुरा। ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी। X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 193 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15. Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-120/1495 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़, एम.एल. संख्या 07/2023 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग, माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर (06/2019, 04/2018, 02/2021, 07/2012, 05/2020, 03/2022, 03/2021, 01/2022, 02/2012, 01/2023, 01/2014, 10/2023, 44/2008, 153/2008, 221/1998, 307/1998, 25/2007, 08/2023 एवं 05/2022) क्षेत्र- 51.9127 हेक्टेयर आवेदक मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 07/2023), खनन क्षेत्र 1.0459 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 124342 TPA, जो कि एम.एल. संख्या 07/2023, निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी में स्थित है से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स कैलाश चन्द धाकड़ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है

i. जिला कलक्टर बून्दी। ii. CEO जिला परिषद, बून्दी। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी। vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेडा, जिला बून्दी। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी। viii. ग्राम पंचायत, डाबी। ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी। x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी

नागर के द्वारा रवाना किया गया। इस दौरान प्रथम विजेता विजय नागर व उपविजेता महेन्द्र नागर तथा रामेश्वर सुमन को मंत्री श्री नागर के द्वारा मेडल

के खेल हमारे जीवन को गुणवत्ता को बढ़ाता है। हमें सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने, और जीतने की क्षमता प्रदान करता है।

दिनांक 14.11.2024

विधिक सूचना

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाध्य पी.एन.बी हाउसिंह फाईनेन्स शाखा बून्दी द्वारा श्री मान सिंह आ0 श्री सीताराम के स्वामित्व एंव आधिपत्य की संपति वाके भूखण्ड संख्या 98 वृन्दा विहार कॉलोनी छत्रपुरा बून्दी मे स्थित है। इसमे श्री पकंज नागपाल आ0 श्री जगदीश जी नागपाल जो खातेदार है उनके द्वारा एक मुख्तार नामा सीमा शर्मा को दिया गया था। उक्त मुख्तार नामे के द्वारा उक्त प्लाट का बेचान श्रीमती हेमलता पत्नी श्री मनीष जोशी को को दिनांक 16.0×.2011 को किया गया था

वह मूल मुखतार नामा व विक्रय पत्र कही गुम हो जाने के कारण ऋणी के पास उपलबध नही है जिसकी गुमशुदा की रिर्पोट पुलिस थाने मे करवा दी है यही उक्त सम्पति को रहन करके पी.एन.बी हाउसिंह फाईनेन्स शाखा बून्दी द्वारा ऋण दिया जा रहा है !

यह कि उकत सम्पति को रहन कर ऋण देने के सम्बध मे यदि किसी व्यक्ति को या बैक को या किसी संस्था कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस के भीतर सुचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मे कोई आपत्ति मान्य नही होगी !

सैयद फेसल हुसैन एडवाकेट बून्दी
मोबाईल न0 7737809609

Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpeb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-127/1489 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़ खसरा नम्बर 242 एवं 243/335 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 51.9127 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 03/2021), खनन क्षेत्र 2.3030 हेक्टयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 286539 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 242 एवं 243/335 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, बून्दी।
ii. CEO जिला परिषद, बून्दी।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द, बून्दी।
vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी।
vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी।
viii. ग्राम पंचायत, बुधपुरा।
ix. राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी।
x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 193 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जो सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड़-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं., बून्दी

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-125/1509 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स राजेश कुमार धाकड़ खसरा नम्बर 240, 543/239 एवं 548/241 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 51.9127 हेक्टेयर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 4960552 TPA (ROM). आवेदक मैसर्स राजेश कुमार धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 01/2022), खनन क्षेत्र 2.9860 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 401798 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 240, 543/239 एवं 548/241 निकट ग्राम पराना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजेश कुमार धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. जिला कलक्टर, बून्दी।
ii. CEO जिला परिषद, बून्दी।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द, बून्दी।
vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी।
vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी।
viii. ग्राम पंचायत, बुधपुरा।
ix. राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी।
x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 194 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2024 (शुक्रवार) को प्रात: 11:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम बुधपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जो सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं.. बून्दी

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-128/1502 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री शिव स्टोन खसरा नम्बर 1460/440 एवं 441 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर क्षेत्र- 51.9127 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री शिव स्टोन द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल.संख्या 08/2023), खनन क्षेत्र 1.5068 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 229464 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 1460/440 एवं 441 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स श्री शिव स्टोन, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

i. जिला कलक्टर, बून्दी।
ii. CEO जिला परिषद, बून्दी।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द, बून्दी।
vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी।
vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी।
viii. ग्राम पंचायत, डाबी।
iX. राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी।
X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 192 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को दोपहर 2:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जो सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड़-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं.. बून्दी

...जी (ऑफसेट) प्रिन्टर्स, राज निकेतन बहादुरसिंह मार्ग, बून्दी से मुद्रित एवं प्रकाशित।